REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 10 | JULY - 2018

दयानन्द सरस्वती और भारतीय संविधान

डॉ. अनुपमा आर्या
ऐसोसिएट प्रोफेसर , राजनीति शास्त्र , आर्य गर्ल्ज कॉलेज, अम्बाला छावनी.

प्रस्तावना :

निसन्देह 15 अगस्त 1947 को भारतीयों ने जिस आज़ाद हवा में सांस लिया था उसकी प्रेरणा दयानन्द सरस्वती रहे। स्वतन्त्रता संगाम की दोनों धारायें अपने मूल उत्स दयानन्द और शक्ति स्त्रोत आर्य समाज से राष्ट्रीय चेतना लेकर बहती रही। धार्मिक समाज सुधारक होते हुए भी दयानन्द ने राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे विचार दिए जिसे आगे चलकर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का हिस्सा बनाया। डॉ० एनीबेसन्ट ने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेषन में कहा था – " जब स्वराज्य मन्दिर बनेगा तो उसमें बड़े–बड़े नेताओं की मूर्तियाँ होगी और सबसे ऊँची मूर्ति दयानन्द की होगी।"

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को स्थापित आर्य समाज संगठन में लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों को अपनाया। संविधान सभा के सदस्य भारतीय समाज के विषिष्ठ व्यक्ति थे जो स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व, शोषण के विरूद्ध मार्क्सवादी दर्षन से प्रभावित थे। सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी उनके उदार विचार थे। दयानन्द ने एक सन्त की तरह भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण किया और पाया कि सामाजिक बुराईयाँ ही भारतीय समाज के अनेकीकरण और शताब्दियों की दासता का कारण है। भारतीय राष्ट्र की मजबूती और बुराईयों से बचने के लिए उन्होंने अपने विचार दिए और उनके काफी विचार भारतीय संविधान के तीसरे और चौथे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों और नीति निर्देषक सिद्धान्तों के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में आता है। अनुच्छेद 15 कहता है (क) राज्य अपने नागरिकों से धर्म, जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेद नहीं करेगा (ख) कहीं जाने जैसे दुकानों, सभी सार्वजनिक स्थलों, कुओं, रास्तों आदि में भेद भाव नही किया जाएगा। (ग) राज्य को औरतों और बच्चों की सुरक्षा के लिए शक्ति प्रदान की जाएगी। (घ) पिछड़ी जातियों, अनुसूचित और कबीलों को विषेष सुरक्षा प्रदान करना समानता की यह भावना आर्य समाज के दस सिद्धान्तों में स्पष्ट दिखाई देती है। स्वामी दयानन्द ने स्वीकार किया कि भारतीय समाज जो वैदिक व्यवस्था पर आधारित होगा वह रंग, जाति, भाषा, धर्म आदि और अनुसूचित जातियाँ के इस विचार के प्रति आकर्षित हुए। वो ऐसे स्वतन्त्र भारत के बारे में सोच भी नहीं सकते जहाँ नारी शक्ति का शोषण हो और जहाँ ब्राह्मण समाज के बन्धनों के कारण शूद्रों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। एक संगठित भारत के लिए और विदेषी ताकतों के विरूद्ध लड़ने के लिए स्वामी जी औरतों को भी समान स्वतन्त्रता देते हैं और वेदों का अध्ययन करने के लिए कहते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को आर्य समाज का सदस्य बनने के लिए कहते है उन्हें जिनमें सदस्य बनने की इच्छा हो।

संविधान के अनुच्छेद 17 में किसी भी रूप कीअस्पृष्यता की मनाही का वर्णन हैं। दयानन्द ने अस्पृष्यता को प्रत्येक आर्य के लिएएक बुराई घोषित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को अनुसूचित जातियों के स्तर को सुधारने के लिए प्रयत्न करने को कहा। उन्होंने कहा इनकी स्थिति में सुधार हिन्दू समाज में निहित है। इसलिए वे इसे धार्मिक– सामाजिक रूप देने का प्रयास करते रहे। आर्य समाज प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो जन्म से ही वेदों के अध्ययन का समान अवसर प्रदान करता है। दयानन्द ने शूद्रों को

किसी भी तरह के विषेष नाम देने के पक्ष में भी नहीं है जैसा कि गांधी जी ने शुद्रों को हरिजन कहरकर पुकारा। उन्होंने सबके लिए एक ही शब्द 'आर्य' का प्रयोग किया। वो नारी की स्थिति में सुधार के लिए बहुत जाने पहचाने श्लोक "यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः" का प्रयोग करते हैं।

उन्होंने नारी के लिए समान अधिकारों की बात का प्रचार किया। नारी षिक्षा को बढ़ावा दिया।

संविधान में स्वतन्त्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। व्यक्ति को कुछ भी जो उचित हो व्यक्त करने का या बोलने की स्वतन्त्रता है। दयानन्द ने इस सिद्धानत का प्रयोग व्यवहारिक रूप में ब्राह्मण समाज की कुरीतियों व प्रथाओं के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए किया और अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध आवाज उठाई और कहा, "सुराज्य स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता, स्वराज्य सर्वोपरि उत्तम होता है।"

उन्होंने आर्य समाज को एक लोकतान्त्रिक संगठन बनाया जिसमें सदस्य अपने नेता / प्रधान के बिना किसी भय के चुन सके। षिक्षा के प्रसार में ब्रिटिष सरकार ने भेद भाव की नीति अपनाई परन्तु आर्य समाज ने वेदों का ज्ञान सभी को समान रूप से दिया। षिक्षा के क्षेत्र में नारी को भी समान अवसर प्रदान किए। उन के अनुयायियों ने डी. ए. वी. संस्थानों की स्थापना की जहाँ वैदिक व एंगलो वैदिक विषय बढ़ाए जाते थे जिससे विद्यार्थी अपनी शानदार संस्कृति के साथ – साथ पष्चिमी सभ्यता व तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कर सके।

संविधान के अनुच्छेद 29 (1) मे प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी कोने में रहने की अनुमति प्रदान की गई अपनी भाषा, अपने धर्म को या अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई।

अनुच्छेद 30 (1) में किसी भी संस्थान जो भेदभाव के आधार पर षिक्षा प्रदान कर रहा है को किसी भी तरह की सहायता प्रदान करने की मनाही का प्रावधान है।

दयानन्द का जन्म गुजरात में हुआ था उन्होंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों व संस्कृत का अध्ययन किया। वो संस्कृत के अच्छे विद्वान व वक्ता थे। उन्होंने हिन्दी को पढ़ाने की बात कहीं और और इसके लिए उन्होंने हिन्दी का प्रयोग व प्रचार किया। उन्होंने यह तब किया जब उर्दू भाषा का प्रचलन था। उर्दू विदेषी संस्कृति प्रतिनिधित्व कर रही थी। दयानन्द ने आह्वान किया कि हिन्दी सभी आर्यो को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित व संगठित करेगी। उनका यह विचार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में पाया गया जिसमें संघीय सरकार को आदेष है कि वह हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित करें जिससे भारतीय संस्कृति व सभ्यता विकसित हो।

अनुच्छे 36–51 में राज्य नीति निर्देषक सिद्धान्तों का वर्णन है जो आयरलैण्ड के संविधान से लिए गए हैं। इन सिद्धान्तों के पीछे काफी हद तक वह भावना दिखाई देती है जो दयानन्द के सिद्धान्तों में दिखाई देती थी।दयानन्द यह जानते थे कि राजनीतिक न्याय बिना आर्थिक व सामाजिक न्याय के सम्भव नहीं है। एक आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से बंटा हुआ व पिछड़ा तथा दास समुदाय विदेषी वर्ग से स्वतन्त्रता प्राप्त करने का सपना भी नहीं देख सकता, आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए उन्होंने लघु उद्योगों के विकास का समर्थन किया। इसके लिए उन्होंने स्वदेषी अपनाने के लिए आह्वान किया।

दयानन्द विचार उनकी उदारता और दूरदर्षिता के लिये जाने जाएंगे।

संदर्भ सूची

1. सत्यकेतु विधालंकार, "आर्य समाज का इतिहास" भाग–6, आर्य स्वाध्याय केन्द्र, नई दिल्ली, 1987
2. बाबू लाल फड़िया, "स्टेट पोलिटिक्स इन इण्डिया, भाग–II रेडियण्ट पब्लिर्षस, नई दिल्ली, 1984
3. षिव कुमार गुप्ता, "आर्य समाज एण्ड राज (1875–1920)", गीतांजली पब्लिषिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1991
4. धनपति पाण्डे, "द आर्य समाज एण्ड इण्डियन नैषनलइसम (1875–1920)", एस० चांद एण्ड को०, नई दिल्ली–1972
5. एस० सी० मित्तल, "फरीडम मूमण्ट इन पंजाब (1905–1929)", कस्ंप्ट पब्लिीषिंग कम्पनी, दिल्ली–1977
6. शान्ता मल्होत्रा, "पोलिटिकल थोट ऑफ स्वामी दयानन्द", आर्य स्वाध्याय केन्द्र, नई दिल्ली–1980